न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1019/2022
सरकार बनाम सचिन।
अंतर्गत धारा– 354 क, 323, 504, 506
भा०दं०सं० व 7/8 पोक्सो अधिनियम।
मु०अ०सं० 283/2022
थाना– हापुड़ देहात, जिला– हापुड़।

<u>आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)</u>

<u>दिनांकः– 25.07.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्त सचिन जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त सचिन के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 354 क, 323, 504, 506 व पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त सचिन के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 11.08.2023 को पेश हो।

दिनांकः– 25.07.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Shweta

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2023.07.28 17:09:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1019/2022
सरकार बनाम सचिन।
अंतर्गत धारा– 354 क, 323, 504, 506
भा०दं०सं० व 7/8 पोक्सो अधिनियम।
मु०अ०सं० 283/2022
थाना– हापुड़ देहात, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त सचिन को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 03.07.2022 को समय करीब शाम 07.12 बजे, बस्थान मौहल्ला संतोष विहार, थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ में आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० जी उम्र करीब 17 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेड़छाड़ कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 354 क के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० जी उम्र करीब 17 वर्ष के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० जी उम्र करीब 17 वर्ष को अपमानित करने के आशय से गंदी–गंदी गालियां दीं। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० जी उम्र करीब 17 वर्ष को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 25.07.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 25.07.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।